210

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल,मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र)

R 826-PBR-17.

पुनरीक्षण याचिका क्रं :–

प्रस्तुत दिनांक :– 7/3/2017

पेशी दिनांक :–

1. कैलाश पिता पन्नालाल प्रजापति

2. होसीलाल पिता पन्नालाल प्रजापति

3. सुरेश पिता पन्नालाल प्रजापति

सभी का व्यवसाय कृषि एवं निवासी ग्राम देडतलाई तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र

श्री जितेन्द्र बोर्गी वकील द्वारा आज दि. 7-3-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

---याचिकाकर्तागण

–विरूध्द–

1. सुभाष पिता पन्नालाल प्रजापति व्यवसाय कृषि

2. मयाराम पिता पन्नालाल प्रजापति व्यवसाय कृषि

3. दिनेश पिता पन्नालाल प्रजापति व्यवसाय कृषि

4. अजय पिता पन्नालाल प्रजापति व्यवसाय कृषि

5. पन्नालाल पिता कालुराम प्रजापति व्यवसाय कृषि

6. विजय पिता पन्नालाल प्रजापति व्यवसाय कृषि

क्रं 01 लगायत क्रं 6 निवासी ग्राम देडतलाई तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र.

7. श्रीमति मल्कुबाई पति रामविलास,पुत्री पन्नालाल प्रजापति निवासी कुम्हार मोहल्ला खालवा तहसील खालवा जिला खंडवा म.प्र.

8. श्रीमति बसंती बाई पति मोहनलाल नागपुरे पुत्री पन्नालाल प्रजापति निवासी पुनासा तहसील व जिला खंडवा म.प्र.

9. ममता पति प्रकाश प्रजापति,पुत्री पन्नालाल प्रजापति निवासी राजपुर (नदी के पास) तह व जिला खरगोन म.प्र.

10. सुनिता पति राजु प्रजापति पुत्री पन्नालाल प्रजापति निवासी पालदा नाका इंदौर म.प्र.

--- प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

याचिकाकतागर्ण निम्नलिखित निवेदन करते है कि :–

याचिकाकर्तागण द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नेपानगर द्वारा प्रथम राजस्व अपील कं 19 वर्ष 2015–16,(सुभाष वगैरा वि0 पन्नालाल वगैरा)मे पारित आदेश दिनांक 21.02.2017 से व्यथित एवं पीडित होकर विधिक एवं तथ्यात्मक आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि प्रकरण के प्रत्यर्थी कं 1 लगायत 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर के समक्ष सहमति के आधार पर हुये धारा 178 म.प्र. भू.रा.संहिता के बटवारा प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, खकनार द्वारा राजस्व प्र.कं 41 अ/27 वर्ष 2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 से पीडित एवं व्यथित होकर प्रथम राजस्व अपील प्रस्तुत की गई है।

2. यह कि उक्त प्रथम अपील मे प्रत्यर्थी कं01 लगायत 4 द्वारा ग्राम देडतलाई राजस्व निरीक्षक मंडल तुकईधड तहसील खकनार जिला बुरहानपुर मे स्थित कृषि क्षेत्र कं 113/1, 113/2, 113/3, रकबा कमशः 1.60, 1.60 एवं 1.60 हेक्टर कृषि भूमि जो वर्तमान मे शासकीय अभिलेख मे राजस्व प्रकरण कं 41अ/27 वर्ष 2012–13 मे सहमति प्रदान करने के कारण पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 को याचिकाकर्तागण के नाम भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप मे दर्ज हुये है से पीडीत एवं व्यथित होकर अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर के समक्ष याचिकाकर्तागण सहित अन्य को प्रकरण मे प्रत्यर्थीगण के रूप मे संयोजित करते हुये समयबाधित अपील प्रस्तुत की है।

3. यह कि प्रत्यर्थी कं 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मे सभी प्रत्यर्थीगण सहित याचिकाकर्तागण अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर के समक्ष अधिवक्ता नियुक्त कर प्रकरण मे उपस्थित हुये ।

4. यह कि उपरोक्त प्रकरण मे इस प्रकरण के प्रत्यर्थी कं 06 लगायत 10 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खकनार द्वारा राजस्व प्रकरण कं 41अ/27 वर्ष 2012–13 मे पारित आदेश दिनांक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 826-पीबीआर/2017 जिला बुरहानपुर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	